

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(28)वित्त/आब/2014

जयपुर, दिनांक: 09.04.2018


राजस्थान आबकारी सेवा(निवारक शाखा अधिकारी) में कार्यरत संयुक्त आबकारी आयुक्त, उपायुक्त, आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार जारी की जाती है:-

राजस्थान आबकारी सेवा(निवारक शाखा अधिकारी)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	विशेष विवरण
(1)	अतिरिक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल		
—	—	—	—
(2)	उपायुक्त, निरोधक दल		
—	—	—	—
(3)	आबकारी अधिकारी		
1	श्री जय नारायण (एस.सी)	2010-2011	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2018
2	श्री कुलदीप बक्शी	2015-2016	—
3	श्री राजेन्द्र पारीक	2015-2016	—
4	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	2015-2016	—
5	श्री राम लाल मीणा (एस.टी)	2015-2016	—
6	श्री लाला राम रेगर (एस.सी)	2016-2017	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2019
7	श्री त्रिलोकी पालीवाल	2016-2017	—
8	श्री गोपाल दीक्षित	2016-2017	—
9	श्री गजेन्द्र सिंह	2016-2017	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2018
(4)	सहायक आबकारी अधिकारी		
1	श्री हरि राम रोट (एस.टी)	2010-2011	निलम्बित दिनांक 15.02.2016
2	श्री मिट्ठू लाल रावत (एस.टी)	2011-2012	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2018
3	श्री नरेन्द्र कुमार कुमावत	2011-2012	—
4	श्री दईदान सिंह	2011-2012	—
5	श्री महिपाल सिंह राणावत	2011-2012	—
6	श्री पोमा राम (एस.सी)	2011-2012	—
7	श्री अरविन्द प्रताप सिंह (एस.सी)	2011-2012	—
8	श्री ज्ञान प्रकाश मीणा (एस.टी)	2011-2012	—
9	श्री विजय जोशी	2011-2012	—
10	श्री प्रद्युमन सिंह	2011-2012	—
11	श्री मदन लाल खटीक (एस.सी)	2012-2013	—
12	श्री महावीर कुमार राठौड	2012-2013	—
13	श्री राकेश शर्मा	2012-2013	—
14	श्री हुकम सिंह सोढा	2017-2018	—


यदि किसी अधिकारी को उक्त वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उक्त वरिष्ठता सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस में आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करावें। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

भवदीय,


(औंकार मल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-7) विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव